'तेहरा-तलाक'
क्या इस्लाम में इसकी इजाज़त है?

सईदा सैयदीन हमीद

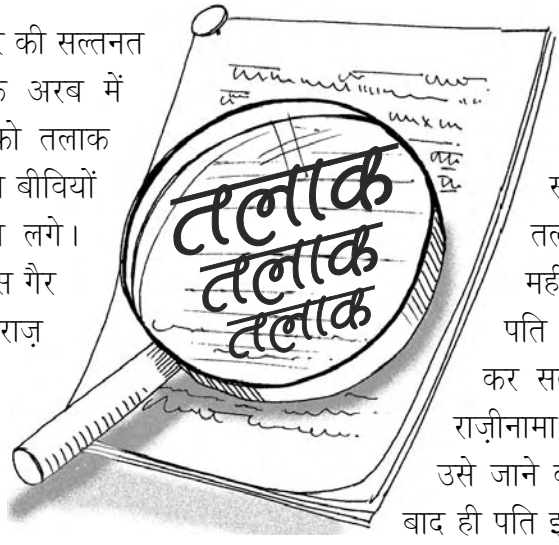

इस्लाम के दूसरे खलीफ़ा हज़रत उमर की सल्तनत के दौर में यह कहा जाता है कि अरब में एकाएक मर्दों ने अपनी बीवियों को तलाक देना शुरू कर दिया। वे अपनी-अपनी बीवियों को बिना कोई वजह बताए छोड़ने लगे। लोगों द्वारा कुरान में दर्ज बातों के इस गैर ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल से खलीफ़ा नाराज़ हो गए और उन्होंने हुक्म जारी किया कि जो भी अपनी बीवी को तलाक देगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इस किस्से को बेरुत के अलामा समसानी ने अपनी किताब *फलसफ़ा शरीयत-उल-इस्लाम* में बयान किया है। 'तेहरा मौखिक तलाक' किसी भी सूरत में इस्लाम के फलसफे के ख़िलाफ़ है। इस सुलूक को 'तलाक-ए-बिदत' यानी गलत तरह का तलाक कहा गया है।

कुरान में तलाक के लिए साफ तौर पर दर्ज हिदायत के तहत कोई भी तलाक लेने वाले मिंया-बीवी को चाहिए कि वो कुरान में बताई रवायतों को मानें। सबसे पहला 'तलाक' कहने के बाद और दूसरा 'तलाक' कहने के बीच एक मासिक चक्र यानी एक महीने का फ़र्क़ होना चाहिए। इसके बाद या तो औरत को बाइज़्ज़त आज़ाद कर दिया जाना चाहिए या अगर समझौता हो जाए तो मियां-बीवी साथ रह सकते हैं। हिदायत साफ़ है। 'तलाक' दो माह के फ़र्क़ पर दो दफ़ा कहा जाना चाहिए। यह एक माह का समय दोबारा सोचने, तय करने या समझौता करने के लिए होता है। यहां पर जो बात अहम है वह यह कि इतने ज़रूरी फैसले से पहले मियां-बीवी अच्छी तरह सोच-विचार कर लें और इस दौरान नाते-रिश्तेदार या दोस्त समझौता कराने में मदद करें। दूसरे तलाक के बाद एक बार फिर एक महीने की मोहलत मिलती है जिसमें पति दो में से एक रास्ता इख्तियार कर सकता है— या तो बीवी के साथ राज़ीनामा कर ले या तीसरा 'तलाक' कहकर उसे जाने की इजाज़त दे। तीसरे अंतराल के बाद ही पति इन दोनों में से एक रास्ता इख्तियार कर सकता है। ऐसा होने के बाद सबसे अहम हिदायत का पालन किया जाना चाहिए। अगर तलाक पूरा हो गया है तो उसे अपनी बीवी को *उससे बगैर कुछ वापस लिए जाने देना होगा।* तलाक की प्रक्रिया व तलाकशुदा महिला को लेकर कुरान में मर्द को हिदायत दी गई है कि औरत के प्रति जज़्बाती रुख अपनाए।

सूरा अल-बकर, 226 के भाग 241 में यही हिदायत एक दफ़ा दोबारा दर्ज की गई है जो मुसलमानों को याद कराती है कि तलाक जैसे नाज़ुक मसले में औरतों के साथ बेहद 'कोमल सुलूक' किया जाना चाहिए। कुरान में दर्ज है कि तलाकशुदा औरतों के साथ 'एहसान' व 'सुलूक' से पेश आना चाहिए। 'सभी नेक मर्दों के लिए यही सही है।' इसके साथ यह भी दर्ज किया गया है कि अगर तलाकशुदा औरत दोबारा निकाह करना चाहे तो उसके रास्ते में कोई मुश्किल पैदा नहीं की जानी चाहिए। इसी तरह अगर मर्द दूसरी बीवी लाना चाहता है तो उसे हिदायत दी

जाती है कि वह अपनी पहली बीवी से कुछ भी वापस न ले फिर चाहे वह एक 'किंतार' सोने का ढेर ही क्यों न हो। *सूरा निसा की आयत 20* में यह भी लिखा है कि मुसलमानों को चाहिए कि वे मेहर निकाह के वक्त ही अदा कर दें। हां, अगर बीवी चाहे तो मेहर की अदायगी अपनी मर्ज़ी से मुल्तवी कर सकती है।

कुरान में तलाक की इजाज़त केवल एक ही सूरत में दी गई है— जब शादी में समझौते की कत्तई गुंजाइश न बाकी हो। इस पर भी यह ध्यान दिया गया है कि अलगाव इज़्ज़त और राज़ीनामे के साथ हो व औरत को किसी भी किस्म की तकलीफ या बदसलूकी न सहनी पड़े। फटाफट तीन दफ़ा तलाक, तलाक, तलाक कह देना, या पोस्टकार्ड पर तीन दफ़ा तलाक लिखकर भेजना या किसी कागज़ के टुकड़े पर काज़ी के दस्तखत करवाकर तलाक की रज़ामंदी लेना इस्लाम के ख़िलाफ़ है। कोई भी मौलवी, मौलाना या इमाम इस तरह के तलाक को जायज़ और इस्लाम के कायदों के हिसाब से सही करार नहीं दे सकता।

जिस तरह मर्द को तलाक देने की इजाज़त है उसी तरह औरत को भी 'खुला' लेने की आज़ादी है। इसमें भी इस्लाम मियां-बीवी को बराबर के हक़ देता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने कुरान का स्पष्टीकरण किया है, मानते हैं कि 'हुस्न-ए-सुलूक' यानी अच्छे व्यवहार में मर्द और औरत के पास समान हक़ होते हैं। *सूरा अल-बकर की आयत 229* में दर्ज है कि औरत अगर चाहे तो अपनी तकलीफदेह शादी 'खुला' लेकर तोड़ सकती है। इसके लिए उसे काज़ी के पास जाना होगा हालांकि मर्दों को तलाक के लिए किसी काज़ी के पास नहीं जाना पड़ता।

मौलाना आज़ाद अपनी व्याख्या में यह भी बताते हैं कि 'खुला' का नियम औरत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। अगर अपनी तकलीफों से निजात पाने के लिए औरत 'खुला' चाहती है और इसके लिए अपनी मेहर का कुछ हिस्सा माफ कर देती है तो इस्लाम उसे ऐसा करने की इजाज़त देता है।

यह सच्चाई बौखला देने वाली है क्योंकि आम चलन यह है कि एक नेक बीवी पूरी मेहर की रकम माफ कर देती है। ज़्यादातर औरतें अपने हक़ बिना जाने-समझे मेहर माफ कर देती हैं और जब शौहर तलाक दे देता है तब उनके पास कुछ भी नहीं रहता। पर इस्लाम में यह साफ लिखा है कि अगर औरत भी तलाक ले तब भी उसे मेहर लेने का हक़ है और वह माफ तभी की जा सकती है जब औरत अपनी आज़ादी के एवज़ में ऐसा करे। पर आमतौर पर 'खुला' लेने वाली औरत को अपनी मेहर माफ करनी ही पड़ती है।

पूरी बात का सच यह है कि हम मुसलमान लोग उन हिदायतों को मानते हैं जिनमें हमें अपना फायदा नज़र आता है। हम 'तेहरा तलाक' मानते हैं, अनेक शादियां करते हैं, मेहर और गुज़ारा भत्ता देने से कतराते हैं। अपने इस बर्ताव को मज़हब के नाम पर सच साबित करने की कोशिशें करते हैं तथा अपने मज़हबी कानूनों की दुहाई देते हैं। पर इस्लाम के कानूनों की मुखालफ़त करने में हमें ज़रा भी परहेज़ नहीं होता। हम तलाक तो देते हैं पर इस्लाम की हिदायतों को मानते नहीं हैं। हम दूसरी शादी के लिए ज़रूरी शर्तों को पूरा किए बगैर शादियां करते हैं। हमारे इसी व्यवहार की वजह से पूरी दुनिया इस्लाम को सबसे ज़्यादा महिला विरोधी मज़हब समझती है। और दुनिया के इस गलत नज़रिए के लिए हम मुसलमान लोग ही ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। अब वक्त आ गया है कि हम खुद को सुधारने की कोशिश करें और अपनी गलतियों के लिए मज़हब का इस्तेमाल बंद कर दें।

साभारः विमेंस फीचर सर्विस